संख्या-1591/33-3-2020-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 24 जून, 2020

विषयः 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्रदेश की पंचायतों हेतु वर्ष 2020- 21 के लिए संस्तुति बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त के आवंटन के संबंध में।

महोदय,

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-15(2) FC-XV/FCD/2020-25, दिनांक-01.06.2020 द्वारा 15वें वित्त आयोग के सम्बन्ध में आॅपरेशनल गाईडलाइन निर्गत किया गया है। 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष-2020-21 के लिए अपनी एक अन्तरिम संस्तुति दी है। 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियां वर्ष 2020-25 के लिए लागू की जाएगी। कालान्तर में वित्त आयोग को 02 रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। जिस क्रम में यह प्रथम रिपोर्ट 2021 के लिए है तथा अन्तिम रिपोर्ट 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए होगी। भारत सरकार ने दिनांक 21.01.2020 को 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत की गयी संस्तुतियों को स्वीकार किया है। 15वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार कुल रू. 90000 करोड़ की धनराशि सभी प्रदेशों के मध्य आवंटित की जानी है, इसमें ग्रामीण निकायों के लिए वर्ष-2020-21 के लिए रू0 60750 करोड़ की धनराशि रखी गयी है। वित्त आयोग की संस्तुतिओं के अनुसार उपर्युक्त धनराशि का 50 प्रतिशत हिस्सा बेसिक ग्रान्ट (अनटाईड फण्ड) होगा तथा शेष 50 प्रतिशत टाइड ग्राण्ट के रूप में होगा।

2- उत्तर प्रदेश को वर्ष-2020-21 में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए प्राप्त होने वाली कुल धनराशि रूपये 9752 करोड़ है, जिसमें बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) रूपये 4876 करोड़ है तथा बेसिक ग्राण्ट (टाईड) 4876 करोड़ है। बेसिक ग्रान्ट की दूसरी किश्त पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार की अनुशंसा पर प्रदेश को अवमुक्त होगी। बेसिक ग्राण्ट जो कुल एलोकेशन का 50 प्रतिशत है वह 02 किश्तों में अवमुक्त किया जाना है, जिसकी पहली किश्त वित्त मंत्रालय के पत्र संख्या- F-16(4)F.C.-XV/FCD/2020-25, दिनांक-17.06.2020 द्वारा रूपये 2438 करोड़ की अवमुक्त की गयी है। टाईड ग्राण्ट जो कुल आवंटन का 50 प्रतिशत है, उसकी धनराशि भी

02 किश्तों में अवमुक्त की जाएगी, जो पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार एवं पेयजल व स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के असेसमेंट तथा रिकमन्डेशन पर आधारित होगा। उपरोक्त के लिए निम्नलिखित विषय पर प्रदेश द्वारा की गयी उपलब्धि पर टाईड फण्ड की द्वितीय की अवमुक्ति पर विचार किया जायेगा:-

(I) ग्रामीण निकायों द्वारा खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति एवं इसे कायम रखना।

(II) पेयजल की आपूर्ति, रैन वाटर हार्वेस्टिंग तथा वाटर रिसाईकिलिंग।

(III) जी.पी.डी.पी. एवं 15 वें वित्त आयोग के उपभोग की स्थिति को वेबसाईट पर अपलोड करने।

(IV) अन्य शर्त, जो जलशक्ति मंत्रालय द्वारा रखा जाना निश्चित किया जायेगा।

वर्ष 2021-22 के लिए अर्हता वित्तीय वर्ष 2020-21 में की गयी उपलब्धि की समीक्षा पर आधारित होगा। ग्रान्ट अनटाईड फण्ड को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निकाय द्वारा उपभोग किया जा सकता है, परन्तु इसका वेतन व स्थापना पर व्यय प्रतिबन्धित है।

टाईड ग्रान्ट का व्यय अनिवार्यतया निम्नलिखित आधारभूत सेवाओं पर किया जाना है:-

(A) Sanitation and maintenance of Open-Defecation Free (ODF) status

(B) Supply of Drinking Water, Rain Water Harvesting and Water Recycling.

3- ग्रामीण निकाय उपरोक्त दोनों मदों (A,B) में टाईड ग्रान्ट का 50-50 प्रतिशत धनराशि ईयरमार्क एवं व्यय करेंगे। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा एक मद में सैचुरेशन का स्तर प्राप्त कर लिया गया है तो वह धनराशि दूसरे मद में कार्य के लिए व्यय की जा सकती है।

4- भारत सरकार के पत्र संख्या F-15(4)F.C.-XV/PCD/2020-25, दिनांक-17.06.2020 द्वारा बेसिक ग्राण्ट (अनटाईड) की पहली किश्त के रूप में उत्तर प्रदेश के लिए 2483 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उपरोक्त पत्र में अंकित निर्देशों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि का आवंटन जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के मध्य अद्यतन राज्य वित्त आयोग की शासन द्वारा स्वीकार की गयी संस्तुतियों के आधार पर होना है।

5- वित्त संसाधन (वित्त आयोग)एवं केन्द्रीय अनुभाग के पत्र संख्या- F-15(4)F.C.-XV/PCD/2020-25, दिनांक 17.06.2020 के द्वारा यह संसूचित किया गया है कि 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान राशि का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निम्न आधारों पर किया जायेगा:-

(i) पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन 90 प्रतिशत जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर किया जायेगा।

(II) उपर्युक्तानुसार जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ग्राम पंचायतों के मध्य 15:45:70 के अनुपात में किया जायेगा।

(III) जिलें में क्षेत्र पंचायतों हेतु उपलब्ध कुल धनराशि का क्षेत्र पंचायतों के मध्य बंटवारा 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 2011 को भार देते हुए किया जायेगा।

(IV) जिलें में ग्राम पंचायतों हेतु उपलब्ध धनराशि का बंटवारा ग्राम पंचायतों के मध्य 90 प्रतिशत कुल जनसंख्या (2011) तथा 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 2011 को भार देते हुए किया जायेगा।

(V) प्रदेश को प्राप्त बुनियादी अनुदान की प्रथम किश्त की धनराशि 243800 लाख में उपर्युक्त मानकों के आधार पर विभिन्न स्तर की ग्रामीण निकायों के मध्य निम्नवत आवंटन बनता है:-

1. ग्राम पंचायत हेतु 170660.00 लाख
2. क्षेत्र पंचायत हेतु 36570.00 लाख
3. जिला पंचायत हेतु 36570.00 लाख लाख।

6- उपरोक्त मानकों के आधार पर ग्राम पंचायतों (58174) हेतु वर्ष 2020-21 के लिए संस्तुत बुनियादी अनुदान का आवंटन जनपदवार संलग्नक-1 पर दिया गया है तथा ग्राम पंचायत वार विवरण वेबसाईट www.panchayatiraj.up.nic.in पर अपलोड किया गया है। क्षेत्र पंचायत (821) को अनुमन्य धनराशि संलग्नक-2 पर है तथा जिला पंचायतों (75) को अनुमन्य धनराशि संलग्नक-3 पर है।

7- पंचायती राज मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत संयुक्त निर्देश दिनांक 10.06.2020 के अनुसार पंचायत भवन का निर्माण प्रथम वरीयता पर है। दूसरी प्राथमिकता ग्राम पंचायत में अवस्थित शासकीय भवनों व अवस्थापना सुविधाओं के मरम्मत व रखरखाव की है। उदाहरण के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, सहकारिता भण्डारण बीज एवं फर्टिलाईजर विक्रय केन्द्र। यह वरीयतें इसी वर्ष के लिए लागू हैं। इस क्रम में भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.06.2020 के अनुसार प्रदेश की 26318 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन नहीं है, जिन्हें 14वें वित्त आयोग की उपलब्ध धनराशि तथा 15वें वित्त आयोग की अनुमुक्ति की जा रही प्रथम किश्त की धनराशि से वरीयता पर पूर्ण करते हुए संतृप्त किया जाना है। ग्राम पंचायत भवन निर्माण में 50 प्रतिशत की धनराशि केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि मनरेगा से लिया जाना है। अगली वरीयता स्वयं सहायता समूह या इससे संबंधित संस्थाओं के लिए कार्य

स्थल/अवस्थापना सुविधाओं के विकास (अधिकतम लागत 15 लाख) विशेष कर उन पंचायत भवनों में जहां पंचायत भवन अथवा इस तरह की सामुदायिक संरचनाएं नहीं हैं। इस तरह स्थापित कम्युनिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी एसेट्स के लिए उचित किराये के आधार पर भी देने की व्यवस्था की जा सकती है। यह संरचना मनरेगा से 15वें वित्त आयोग की धनराशि से कन्वर्जेंस करते हुए निर्मित करायी जायेगी। इन कार्यों के लिए मनरेगा में वर्क आई.डी. जनरेट करते हुए कार्यवाही की जाएगी।

8- पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही मेकर और चेकर व अप्रूवर द्वारा की जाएगी:-

क्रम सं0	ग्रामीण निकाय	मेकर	चेकर	अप्रूवर
1	ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	ग्राम पंचायत प्रधान	ए.डी.ओ. पंचायत
2.	क्षेत्र पंचायत	खण्ड विकास अधिकारी	क्षेत्र पंचायत प्रमुख	मुख्य विकास अधिकारी
3.	जिला पंचायत	अपर मुख्य अधिकारी	अध्यक्ष जिला पंचायत	निदेशक, पंचायती राज

यहां यह स्पष्ट किया जाना है कि पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था धनराशि के अन्तरण के लिए ही है। वित्तीय, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के उपरान्त ही पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से धनराशि अंतरित की जानी चाहिएं।

9- पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को ग्रामीण निकायों के विभिन्न स्तरों पर लागू करने का प्रयास एक लम्बे समय से चल रहा है, परन्तु कतिपय त्रुटिपूर्ण निर्णयों की वजह से यह अभी भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। इनमें मुख्य वजह यह है कि ग्रामीण निकायों के स्तर पर विभिन्न स्कीमों की धनराशि एक ही खाते में है। पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था लागू करने के लिए प्रत्येक स्कीम के लिए राज्य स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पृथक बैंक खाता अनिवार्य है। चूंकि केन्द्रीय वित्त आयोग की धनराशि पहली बार जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत को अंतरित की जा रही है। अतः स्वाभाविक तौर पर उनका नया खाता इस योजना के लिए खुलेगा, जो पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से राज्य स्तरीय खाते से लिंक होगा। ग्राम पंचायतों को भी पृथक बैंक खाता 15वें वित्त आयोग की धनराशि के लिए खोलना है। उपरोक्त खाता उसी बैंक शाखा में होना चाहिए जिस बैंक शाखा में ग्राम निधि का खाता संचालित है और यह नया खाता राज्य स्तरीय पी.एफ.एम.एस. खाते के साथ मैप कर रजिस्टर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अगले 05 वर्ष तक

Scanned with CamScanner

लगभग 50000 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। अतः पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को पूर्णतः लागू करने के लिए प्रत्येक स्तर पर पृथक् बैंक खाता की व्यवस्था, जो पी.एफ.एम.एस. में मैप हो आवश्यक है। राज्य स्तर पर केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रशासनिक मद की धनराशि की अनुमन्यता होने पर प्रशासनिक मद हेतु एक पृथक खाता कालांतर में खोला जाना चाहिए।

10- पी.एफ.एम.एस व्यवस्था को लागू करने के लिए ग्राम पंचायतों व क्षेत्र पंचायतों के स्तर पर लागू करने के लिए निदेशालय में तैनात निम्नलिखित कन्सल्टेंट जिम्मेदार होंगे:-

(i) अभिषेक श्रीवास्तव (मोबाईल संख्या-9554455554)

(ii) रितेश शर्मा (मोबाईल संख्या-8800690461)

जिला पंचायत स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए श्री प्रवीण कुमार, उप निदेशक, पंचायत (मोबाईल सं0-9415151295) उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था को लागू करने में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई के निराकरण के लिए सम्बन्धित कन्सल्टेंट से सम्पर्क किया जा सकता है। पंचायती राज निदेशालय स्तर पर इस शासनादेश में दिए गए निर्देशों व व्यवस्था को लागू करने के लिए वित्त नियंत्रक व निदेशक, पंचायती राज उत्तरदायी होंगे। पी.एफ.एम.एस. की व्यवस्था में यह आवश्यक है कि किसी अधिकारी, जो मेकर अथवा चैकर के रूप में कार्य कर रहा है, उसके स्थानान्तरण के उपरान्त जो भी प्राधिकारी अपूवर्स के रूप में नामित हैं उन्हें इस खाते को स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा संचालित न किया जा सके इसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। सम्बन्धित स्थानान्तरित अधिकारी की भी यह जिम्मेदारी है कि स्थानान्तरण के उपरान्त इस व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित कर लिया जाये। ऐसा न करना वित्तीय अनियमितता विषयक व क्रिमिनल ऐक्शन आमंत्रित करेगा। किसी भी दशा में किसी भी स्तर पर योजनान्तर्गत सिंगल एकाउण्ट संचालित नहीं किया जायेगा।

11- उक्त वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्ययीय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्था यी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीयकृति प्राप्तह की जानी आवश्यनक होय उन मामलों में व्य य करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

12- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-4/2018/आर0जी0-1021/दस/2018-मित0-1/2017 दिनांक 18.09.2018का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

13- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग- 0301- सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या- 20 सहायता- सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

14- उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं हेतु अवमुक्त प्रथम किश्त की बुनियादी अनुदान (अनटाइड फण्ड) की कुल धनराशि रू. 2438.00 करोड़ को निम्नानुसार संलग्न फाण्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0सं	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रू. में
1	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	3,65,70,00,000/-
3	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	17,06,60,00,000/-
योग		24,38,00,00,000/-

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1/149/दस-2020-231/2019 दिनांक 24.03.2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 29.6.20

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,प्रथम/ ऑडिट प्रथम ,उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त।

3- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0 ।

6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, 30प्र0।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जगजहर भवन लखनऊ।

8- संबंधित बैंकों को।

9- निदेशक,पंचायतीराज,लेखा 30प्र0।

10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-2

11- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग ।

12- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग।

13- समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, 30प्र0।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

29.6.20

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-34/2020/1817/33-3-2020-33/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत,
उत्तर प्रदेश।

4- समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक-24 जुलाई, 2020

विषयः-15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को आवंटित अनुदान की धनराशि रू0. 2438 करोड़ टाईड ग्रान्ट के उपभोग हेतु मार्गदर्शक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-15(2)एफ0सी0-एक्स0वी0/एफ0सी0डी0/2020-21, दिनांक-01.06.2020 तथा पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी0-39011/2/2017 एफ0डी0, दिनांक-02.07.2020 से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को दो भागों में-50 प्रतिशत अनुदान की धनराशि अनटाइड ग्राण्ट (बेसिक अनुदान) के रूप में तथा 50 प्रतिशत धनराशि टाइड ग्राण्ट के रूप में अनुमन्य की गयी है। वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुक्रम में निम्नलिखित प्रमुख शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित धनराशि का व्यय, उपभोग सुनिश्चित किया जायेगा:-

1- पंचायतीराज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला:-

1.1- ग्रामीण निकायों के मध्य धनराशि का वितरण वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1594/33-2020-33/2020 दिनांक 29.06.2020 में निर्धारित सिद्धान्तों के आधार पर किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत ग्रामीण निकायों को अन्तरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य 15:15:70 के अनुपात में किया जायेगा। इस प्रकार जनपद को उपलब्ध संक्रमित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasnadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

धनराशि का 15 प्रतिशत अंश से सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत को 15 प्रतिशत अंश क्षेत्र पंचायतों को एवं 70 प्रतिशत अंश ग्राम पंचायतों के मध्य वितरित किया जाएगा।

2- 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अनटाइड/बेसिक ग्राण्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु दिशा निर्देश भारत सरकार के पत्र सं0-F.No. G-39011/2/2017-FD दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्गत किए गए हैं, जो निम्नवत हैं:

"Storm Water Drainage and water logging management, immunization of children, prevention of malnutrition of children, construction and repair and maintenance of roads within Gram Panchayat (GP) and inter GP, construction and repair of foot paths within GP and inter GP, construction and repair and maintenance of LED street lights and solar lighting as applicable (solar street light may be individual poles or centralized solar panel system)- within GP and inter GP, construction, repair and maintenance of crematorium and acquisition of land for crematorium and cremation grounds, acquisition of land & maintenance and upkeep of dead body burial ground, providing sufficient and high bandwidth Wi-Fi digital network services within GP, public library; recreation facilities including children's park; playground; rural haat; sports & physical fitness equipment, etc. and any other basis improved/enhanced service mandated by state government under relevant state legislation; (recurring expenditure for electricity, water, collection and disposal & recycling waste, liquid/solid waste management equipment, manpower on outsourcing basis and other administrative expenses as essential, immediate relief works in the event of natural disasters/pandemic; discharge of responsibilities specifically mandated to panchayat under various Acts/Laws e.g preparation and updation of people' s biodiversity register (PBR) under biodiversity Act, 2002"

The XV FCHas not distinguished between O&M and capital expenditure within the component of locally felt needs. GPs can enter into annual maintenance contracts/service contracts for providing the services to rural inhabitants. However, expenditure from the grants on

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

the negative list namely expenditure on items already being founded from other schemes, felicitation/cultural functions/ decorations/ inauguration, Honorarium, TA/DA of elected representatives and salaries/honorarium of existing employees/permanent, doles/awards entertainment, purchase of vehicles and air-conditioners are not allowed under this component."

3-15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत टाईड ग्रान्ट के अन्तर्गत अनुमन्य कार्य व उपभोग हेतु निर्देश

भारत सरकार द्वारा इस विषय पर निर्गत Operational Guideline **दिनांक 01.06.2020 निम्नवत हैं :**

"Tied Grants:- Tied grants i.e. 50% of the allocation will be released in two instalments by the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Finance Commission Division) after receipt of recommendation from the Ministry of Panchayati Raj, Govt. of India, Department of Drinking Water & Sanitation, Ministry of Jal Shakti, Govt. of India and MOPR will assess the following before recommending for release of grant;

(a) Status & maintenance of Open Defecation Free local body

(b) Supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling.

(c) Uploading of GPDP and details about utilization 15th F.C. funds on the website.

(d) Any other condition which Ministry of Jal Shakti may deem fit in connection with the stated objectives of the tied grant.

Tied Grants:- The tied grants can be used for the basic services of (a) sanitation and maintenance of open-defecation free (ODF) status and (b) supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling. The local bodies shall, as far as possible earmark one half of these tied grants each to these two critical services. However, if any local body has fully saturated the needs of one category, it can utilise the funds for the other category.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

3.1 टाईड ग्रान्ट में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण :

(a) सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख-रखाव की व्यवस्था।

(b) Grey Water (किचेन व बाथरूम) का Treatment एवं Management

(c) सीवर प्रणाली (Shallow Bore/Deep Bore) का विकास तथा रख-रखाव

(d) सीवेज ट्रीटमेंट की व्यवस्था- Waste stabilization Pond आदि

(e) सेप्टेज ट्रीटमेंट व मैनेजमेंट

(f) सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट-सामुदायिक कम्पोस्ट पिट का निर्माण व रख-रखाव आदि

(g) पाईप पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना इसका रख-रखाव

(h) वर्षा जल का संचयन

(i) ट्रीटेड जल का recycle एवं reuse

(j) पाईप्ड पेयजल की योजनाएं ग्राम पंचायतों की सहमति से क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायत द्वारा बनाई व संचालित की जा सकती है।

(k) प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट- प्रतिबंधित श्रेणी के प्लास्टिक व थरमोकोल के विनिर्माण व प्रयोग को रोकने की व्यवस्था। अधिसूचना सं0-2893/33-3-2019-154-2014, टी0सी0 दिनांक 10 जनवरी, 2020 के अनुसार प्लास्टिक को प्रतिबंधित करना तथा संग्रहण reuse व recycle की व्यवस्था बनाना।

4- अनटाईड/बेसिक ग्रान्ट का इस्तेमाल सर्वप्रथम पंचायत घर के निर्माण पर किया जाएगा। टाईड ग्रान्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही धनराशि से सैनीटेशन मद के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत धनराशि से सर्वप्रथम सामुदायिक शौचालय के निर्माण व रख-रखाव की व्यवस्था की जाएगी।

5- अनटाईड ग्रान्ट तथा टाईड ग्रान्ट का उपभोग उपरोक्त कार्यों हेतु ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें तथा जिला पंचायतें कर सकेंगी।

जिला पंचायतें व क्षेत्र पंचायतें सामुदायिक शौचालय का निर्माण व रख-रखाव कस्बे/बाजार/हॉट व ऐसे स्थल जहाँ लोगों का आवागमन अधिक है, वहां करेंगे।

जिला पंचायतें एवं क्षेत्र पंचायतें प्रदेश के नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे/मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड आदि जिन पर आवागमन अधिक रहता है, वहाँ उचित स्थलों पर Rest Area/जन-सुविधा केन्द्र (शौचालय व पेयजल, जलपान, वाहनों के पार्किंग) के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सकते हैं।

जिला/क्षेत्र पंचायतें अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाले बाजारों, हॉट बैठे, पशु बाजार आदि के स्थान पर स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था करेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nov.in से सत्यापित की जा सकती है।

6- पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना क्रियान्वयन व भुगतान

के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:-

समस्त पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा 15वें वित्त आयोग की धनराशि की कार्ययोजना, क्रियान्वयन, भुगतान आदि की कार्यवाही पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार के इण्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर (E-Gram Swaraj) के माध्यम से की जायेगी।

6.1 यह धनराशि 15वें वित्त आयोग के लिए खोले गए बैंक खाते में ही व्यवहरित की जाएगी।

6.2 सर्वप्रथम समस्त त्रिस्तरीय पंचायतें 15वें वित्त आयोग के मार्ग निर्देशों के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर ई-ग्राम स्वराज साफ्टवेयर पर अपनी वार्षिक ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करेंगी।

6.3 उक्तानुसार प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) की तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य को प्रारम्भ किया जायेगा एवं यह जानकारी ई-ग्राम स्वराज के साफ्टवेयर पर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग मद में अंकित की जायेगी।

6.4 तत्पश्चात् प्रत्येक कार्य (वर्क आईडी) के सापेक्ष समस्त भुगतान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन (जो कि पी.एफ.एम.एस. साफ्टवेयर से एकीकृत है) के माध्यम से किया जायेगा।

6.5 प्रत्येक कार्य के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान (यथा-वेन्डर एवं श्रमिकों का भुगतान) सीधे उनके बैंक खातों में ई-ग्राम स्वराज-पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त टाईड ग्रान्ट की धनराशि रू0. 2438 करोड़ का जनपदों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों का विवरण संलग्नक पर है।

7- वित्तीय स्वीकृति जारी करने के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल और फाईनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-4/2018/आर.जी.-1021/दस/2018-मित-1/2017, दिनांक 18.09.2018 का विशेष रूप से पालन किया जाएगा।

9- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक के अनुदान संख्या-14 के लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-15वें वित्त आयोग-0301 सामान्य बुनियादी अनुदान संख्या-20-सहायता (गैर वेतन) के नामे डाला जाएगा।

10- उपरोक्तानुसार 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रदेश की पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवमुक्त टाईड ग्रान्ट की कुल धनराशि रु0. 243800.00 लाख को निम्नानुसार संलग्न फॉर्ट के अनुसार उपरोक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय, निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम सं0	पंचायती राज संस्थाएं (अनुपात)	धनराशि रु0. में
1.	जिला पंचायत (15 प्रतिशत)	36,57,00,000/-
2	क्षेत्र पंचायत (15 प्रतिशत)	36,57,00,000/-
3.	ग्राम पंचायत (70 प्रतिशत)	170,66,00,000/-
योग		243,80,00,000/-

11- यह आदेश भारत सरकार के पत्र संख्या-F.15(4)FC-XV/FCD/2020-25 दिनांक 15.07.2020 एवं वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं के0स0) अनुभाग के पत्र सं0-एफ0सी0161/दस-2020-2/2020 के क्रम में निदेशक, पंचायती राज द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव संबंधी पत्र संख्या-8/3863/2019-8/98/2019-20 दिनांक 23 जुलाई 2020 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1/149/दस-2020-231 /2019, दिनांक 24.03.2020 में प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जनपदों, जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि का व्यय उक्त मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इसे शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों के मध्य टाइड ग्रान्ट की प्रथम किस्त की धनराशि रू. 243800.00 लाख अवमुक्त किए जाने हेतु जनपदवार फाण्ट

(धनराशि रू. में)

क्र.सं.	जनपद	ग्राम पंचायत	क्षेत्र पंचायत	जिला पंचायत	कुल योग
1	2	3	4	5	6
1	मेरठ	182931377	39199581	39199581	261330539
2	बागपत	112215305	24046137	24046137	160307579
3	गाजियाबाद	76034097	16293021	16293021	108620139
4	गौतमबुद्धनगर	36841839	7894680	7894680	52631199
5	बुलन्दशहर	295021173	63218823	63218823	421458819
6	सहारनपुर	265870284	56972204	56972204	379814692
7	मुजफ्फरनगर	238627820	51134533	51134533	340896886
8	आगरा	282980857	60510184	60510184	403401225
9	अलीगढ़	263678288	56502490	56502490	376683268
10	हाथरस	132612486	28416961	28416961	189446408
11	एटा	170573764	36551521	36551521	243676806
12	कासगंज	130075536	27873329	27873329	185822194
13	मैनपुरी	173631997	37206857	37206857	248045711
14	मथुरा	188461131	40384528	40384528	269230187
15	फिरोजाबाद	182169597	39036342	39036342	260242281
16	बरेली	329521963	70611849	70611849	470745661

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलैक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

17	बदायू	283224360	60690934	60690934	404606228
18	पीलीभीत	195403597	41872199	41872199	279147995
19	शाहजहांपुर	267340483	57287246	57287246	381914975
20	मुरादाबाद	210761249	45163125	45163125	301087499
21	अमरोहा	154641283	33137418	33137418	220916119
22	रामपुर	188884229	40475192	40475192	269834613
23	बिजनौर	314452739	67382730	67382730	449218199
24	लखनऊ	141525050	30326796	30326796	202178642
25	रायबरेली	285719776	61225666	61225666	408171108
26	अमेठी	202837980	43465281	43465281	289768542
27	हरदोई	408040368	87437222	87437222	582914812
28	उन्नाव	294300150	63064318	63064318	420428786
29	सीतापुर	441138806	94529744	94529744	630198294
30	खीरी	409148460	87673599	87673599	584490659
31	अयोध्या	225041953	48223276	48223276	321488505
32	अम्बेडकर नगर	228388770	48940451	48940451	326269672
33	सुल्तानपुर	248444574	53238123	53238123	354920820
34	बाराबंकी	319321332	68426000	68426000	456173332
35	गोण्डा	358358264	76791057	76791057	511940378
36	बलरामपुर	222669345	47714860	47714860	318099065
37	बहराइच	353759796	75805671	75805671	505371138
38	श्रावस्ती	119700861	25650185	25650185	171001231
39	प्रयागराज	462059721	99012797	99012797	660085315

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

40	कौशाम्बी	146302661	31350570	31350570	209003801
41	फतेहपुर	260393231	55798550	55798550	371990331
42	प्रतापगढ़	318312315	68209782	68209782	454731879
43	वाराणसी	216088057	46304584	46304584	308697225
44	चन्दौली	191185111	40968238	40968238	273121587
45	गाजीपुर	361731401	77513872	77513872	516759145
46	जौनपुर	436147335	93460143	93460143	623067621
47	मिर्जापुर	250798908	53742623	53742623	358284154
48	सोनभद्र	210234523	45050255	45050255	300335033
49	संतरविदास नगर (भदोही)	144278017	30916718	30916718	206111453
50	हमीरपुर	116324981	24926782	24926782	166178545
51	बांदा	183378797	39295457	39295457	261969711
52	चित्रकूट	112927235	24198693	24198693	161324621
53	महोबा	94502344	20250502	20250502	135003348
54	गोरखपुर	369655764	79211949	79211949	528079662
55	महराजगंज	261397388	56013726	56013726	373424840
56	देवरिया	296723253	63583554	63583554	423890361
57	कुशीनगर	325782809	69810602	69810602	465404013
58	बस्ती	245451015	52596646	52596646	350644307
59	सन्त कबीर नगर	163084101	34946593	34946593	232977287

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

60	सिद्धार्थ नगर	245842421	52680519	52680519	351203459
61	आजमगढ़	456108839	97737608	97737608	651584055
62	मऊ	175841538	37680330	37680330	251202198
63	बलिया	312338490	66929676	66929676	446197842
64	कानपुर नगर	178887168	38332965	38332965	255553098
65	कानपुर देहात	180925725	38769798	38769798	258465321
66	फर्रूखाबाद	162422206	34804758	34804758	232031722
67	कन्नौज	153778753	32952590	32952590	219683933
68	इटावा	139286092	29847020	29847020	198980132
69	औरैया	130786376	28025652	28025652	186837680
70	झांसी	155527571	33327337	33327337	222182245
71	ललितपुर	141914930	30410342	30410342	202735614
72	जालौन	133762405	28663373	28663373	191089151
73	शामली	102866370	22042794	22042794	146951958
74	संभल	192756038	41304861	41304861	275365760
75	हापुड़	102450171	21953608	21953608	146357387
	योग-	17066000000	3657000000	3657000000	24380000000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।